



FORM - III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरबचन सिंह बनाम बलवीर सिंह आदि
 अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए नम्बर 34 सन् 2020

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.05.20	<p>वादी गुरबचन सिंह पुत्र मल सिंह रामगढिया निवासी बुर्जेवाला तहसील श्री करणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,188 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.06.2020 को पेश हो।</p> <p align="center">  उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर </p> <p>8/6/20 आज यह पत्रावली वादी गुरबचन सिंह के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्राथमिक पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो चुका है। पक्षकारों अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते और प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर करवाना चाहते हैं। वादी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र नोटिफिकेशन करने पर वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम हो</p> <p align="right">  (मूलबन्द लुगिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर </p>	<p align="right">गुरबचन सिंह</p>